न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 171/2022

1 छाजूराम पुत्र रामेश्वरलाल
2 बाबूलाल पुत्र रामेश्वरलाल
3 शिम्भुदयाल पुत्र रामेश्वरलाल
4 मोहरी देवी पत्नी रामेश्वरलाल
5 जगदीश पुत्र गोपाल
6 मनोहर पुत्र गोपाल
7 झाबर पुत्र गोपाल
8 गणेश पुत्र गोपाल
9 महेन्द्र पुत्र गोपाल
10 बिदामी देवी पत्नी गोपाल
जाति माली निवासी ढाणी ठठेरा वाली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 फतेहचन्द पुत्र बद्रीप्रसाद
2 सुभाषचन्द पुत्र बद्रीप्रसाद
3 मुकेश कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद
जाति माली निवासीगण कुआ गोपाल सिंह हाल नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.09.2012 उनवानी फतेहचन्द आदि बनाम छाजूराम आदि मु.नं. 02/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

उपस्थिति :

1. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मन्जू कुमारी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा 02/2012 में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में आवेदक रेस्पोडेन्ट ने भूमि खसरा नम्बर 1419 में से 4.31 मीटर चौडाई का रास्ता धारा 251 ए का आवेदन प्रस्तुत कर मांगा है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। अनावेदक वार्ड नम्बर 3 कुआ ठठेरावाली ढ़ाणी कस्बा उदयपुरवाटी के स्थायी निवासी है तथा तामिल कुनिन्दा ने समन पर साक्षी के रूप में जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये है वह नांगल ग्राम के है जो अनावेदक के घर से 6 किलोमीटर पर है। इससे साफ जाहिर होता है कि तामिल कुनिन्दा अनावेदकगण के घर पर ही नहीं गया है। इस प्रकार अनावेदकगण की तामील आदेश 5 सीपीसी के प्रावधान के अनुसार नहीं करवाई गई है एवं उसी को आधार मानकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है तथा पत्रावली में एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है इस कारण अनावेदकगण को पत्रावली में जवाब देही का अवसर नहीं मिला है। 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरणों में चाहे जाने प्रस्तावित के सम्बन्ध में तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई जाती है तथा रिपोर्ट दोनों पक्षों को सूचना देकर तैयार की जाती है तथा रिपोर्ट में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही इस बाबत भी रिपोर्ट की जाती है तथा अन्य कोइ निकटतम दूरी का रास्ता मौके पर उपस्थित है या नहीं यह रिपोर्ट भी तहसीलदार से मंगवाई जाती है। उक्त प्रकरण में रिपोर्ट दिनांक 23.07.2012 को हल्का पटवारी से तैयार करके भेजी गई है तथा अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता है या नहीं इस बाबत कोई रिपोर्ट हल्का पटवारी ने नहीं की है तथा इसी रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय दिनांक 03.09.2022 आदेश पारित किया गया है। आवेदकगण/रेस्पोडेन्ट की भूमि अपीलान्ट की भूमि से दक्षिण दिश में स्थित है तथा ग्राम टोडपुरा से एक रास्ता निकलता है जो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

आवेदकगण/रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 1410, 1411, 1420 में दक्षिण सीमा में प्रवेश कर उनके घर तक जाता है तथा इसी रास्ते से रेस्पोडेन्ट हमेशा अपने घरों में आवागमन करते हे तथा आज भी कर रहे है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 1419 से कभी भी रेस्पोडेन्ट का आवागमन नहीं रहा है तथा ना ही आज मौके पर है परन्तु रेस्पोडेन्ट ने बाला–बाला विचारण न्यायालय से दिनांक 03.09.2012 को आलौच्य आदेश पारित करवा लिया है तथा इसी आदेश की आड़ में अपीलान्ट की भूमि में से जबरन रास्ता कायम करने पर आमादा है इस कारण अपीलान्ट के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है क्योंकि अपीलान्ट को जवाबदेही एवं सही तथ्य पत्रावली पर रखने का अवसर नहीं मिला है। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 03.09.2022 की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी दिनांक 05.11.2022 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने अपीलान्ट को धमकी दी की हमने आपकी भूमि खसरा नम्बर 1419 में से रास्ता कटाण में करवा लिया है तथा हम सब इसे खुलवाकर रहेंगे तब अपीलान्ट ने जमाबन्दी एवं नक्शा प्राप्त करने पर जानकारी दिनांक 05.11. 2022 को हुई उसके बाद रिकार्ड रूम झुन्झुनू से नकल दिनांक 09.11.2022 को प्राप्त हुई उसके बाद यह अपील अपीलांट के द्वारा अविलम्ब पेश की जा रही है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017(1) पेज 342 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है धारा 251 ए में स्पष्ट प्रावधान है कि मौका रिपोर्ट आईएलआर स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर, सक्षम स्तर से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम धोलिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर